Frame SOP to cut needless referrals to FSLs, govt told

EXPRESS NEWS SERVICE @ New Delhi

THE Delhi High Court has asked the Delhi government to seriously consider framing a standard operating procedure (SOP) or issuing clear guidelines to prevent forensic science laboratories (FSLs) from being overwhelmed by avoidable referrals during criminal investigations.

A Division Bench comprising Chief Justice Devendra Kumar Upadhyaya and Justice Anish Dayal passed the direction while hearing public interest litigation (PIL) that flagged how, in several cases, viscera and other forensic samples were being routinely sent for testing even when such analysis was not necessary.

The Court observed that this practice ends up delaying analysis of critical samples, which directly impacts the timely delivery of justice. It remarked that unnecessary referrals not only clog the system but also result in delays in completing investigations and in the overall criminal justice process. The judges noted that sending every sample indiscriminately to FSLs burdens the institutions and hampers their efficiency. They added that it results in essential samples being queued behind non-urgent cases, causing either degradation of key evidence or incorrect results due to prolonged storage. Referring to findings from a joint report authored by doctors from FSL and AIIMS, published by the National Human Rights Commission, the Court pointed out that 30 to 40% of toxicology cases forwarded to FSLs did not actually require forensic examination.

The report underlined how indiscriminate referrals significantly increased the laboratories' workload. The petition before the Court had requested the formation of an expert committee comprising forensic medicine specialists and forensic science experts. The committee was proposed to help frame appropriate protocols regarding when and how viscera or blood samples should be sent for forensic testing, ensuring only necessary cases are referred and that those are processed efficiently.

Taking these concerns into account, the Court directed the competent authority in the Delhi government to examine the petitioner's representation and act upon it without delay.

The Bench instructed that the suggestions provided in the petition, along with the concerns raised about delays and inefficiencies, should be carefully evaluated. The government has been given a three-month timeline in the matter.

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

FREE PRESS JOURNAL, Mumbai, 11.7.2025
Page No. 4, Size:(10.76)cms X (16.18)cms.

Mawa askan lon, translated as 'our rightful home as women', which serves as shelter and a community centre for meetings and support groups in Sitatola; (right) a kurma ghar in Nelgunda village. *Express*

Tribal women in Gadchiroli's Sitatola join hands to end menstrual stigma

ANKITA DESHKAR
NAGPUR, JULY 10

TRIBAL WOMEN from Sitatola in Maharashtra's Gadchiroli district have come together to end the centuries-old practice of isolating themselves in menstruation huts, locally known as kurma ghars.

Rejecting the taboo that treated menstruation as impure, women of all ages in the village have collectively built a space they call *mawa askan lon*, which translates from the Madia dialect as "our rightful home as women". The structure serves not only as a shelter but also as a community centre for meetings and support groups.

The initiative was spearheaded with support from Sparsh, a Gadchiroli-based NGO that has been working on eradication of the kurma ghar custom for over a decade. "Our philosophy is simple — no woman should be forced out of her home due to menstruation," said Dr Dilip Barsagade, president and executive director of Sparsh. "This is a natural biological process. The emotional and physical support women need during this time can only come from family, not isolation."

Barsagade said the NGO initially focused on sensitising male community members and traditional faith leaders. "It seemed impossible at first, but through honest dialogue, mindsets began to shift. The women themselves were clear they didn't want to step into kurma ghars even for a minute." Over time, the duration of isolation reduced from five days to three, then two. Still, many households resisted allowing menstruating women into the home. That is when the women proposed an alternative: menstruating and non-menstruating women staying together under one roof. "They believed this would naturally break the taboo," Barsagade said.

When the women asked for a space, Sparsh agreed on the condition that it would not resemble a kurma ghar. The women offered to build it themselves through voluntary labour, constructing the *mawa askan lon* with support from nearby villages.

"Today, all the women stay together, menstruating or not. The stigma is slowly fading. Some still spend the day at the centre and return home at night. The space is now used for regular meetings and has become a symbol of ownership and pride," Barsagade added. To manage the centre, one woman from each of the 21 households forms a committee. They collect small contributions of Rs 10 to Rs 20 to cover electricity and maintenance expenses.

Boards in Madia language have been installed, educating visitors about the harms of isolation and reinforcing the message: "I belong in my home, not in isolation."

Kurma ghar system

Kurma ghars are small huts used in several tribal villages in Gadchiroli to isolate menstruating women. Many lack toilets, running water, or beds, and during monsoons, women are sometimes forced to stay in cow sheds as the huts become uninhabitable. Touching food, water, or household items during this time can result in social penalties, including fines or being forced to arrange a village feast.

Shakuntala Madavi, an ASHA worker in Ranipodur village, said the tradition remains widespread among the Madia tribe. "Women eat alone, bathe in rivers, and are forbidden from interacting with others."

Baby Madkame, an ASHA worker from Nelgunda village and a member of the Madia tribe, said the huts often lack basic facilities. "Many women go into the jungle or rivers to relieve themselves," she said.

A doctor associated with the Jana Sangharsha Samiti in Gadchiroli said, "In Binagunda, I saw girls barred from sitting in boats during their periods because the river was considered sacred."

She recalled girls bathing only on the third or fifth day of their periods and being told not to touch anything in the house. "We kept telling them this could cause infections, but the elders were adamant," she said.

Dangers lurk

In 2011, Sparsh conducted a survey across 223 kurma ghars and identified 28 cases in which girls had died due to isolation – ranging from causes like snake bites and wild animal attacks to untreated medical emergencies like excessive bleeding. "These deaths were never officially linked to the practice. Nearly 70 per cent of the victims were between 11 and 37 years of age," said Barsagade.

A more structured survey in 2012 reached 4,227 women and girls and further confirmed the dangers. The NGO submitted a report to the district administration, calling for urgent intervention.

When no action was taken, the matter was taken to the National Human Rights Commission (NHRC). A year later, the NHRC admitted the case and asked the Maharashtra chief secretary for a report. Subsequently, the Tribal Research and Training Institute (TRTI) sent a team to Gadchiroli. Their 2014 report confirmed the risks and recommended coordinated interventions by departments.

"Despite the report, the recommendations were not implemented. That is when we decided to take action in 50 villages," Barsagade said.

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

DAINIK BHASKAR, Chandigarh, 11.7.2025
Page No. 3, Size:(16.10)cms X (12.05)cms.

मानवाधिकार ने 'दयालु' में गलत ढंग से अस्वीकृत दावे पर मांगी रिपोर्ट

भास्कर न्यूज | चंडीगढ़

हरियाणा मानव अधिकार आयोग (एचएचआरसी) ने "दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना' (दयालु) के तहत पीड़ित के दावे को अनुचित ढंग से अस्वीकृत करने पर अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है। पीड़ित ने बताया कि पिता के मृत्यु प्रमाण पत्र में दर्ज आयु पीपीपी में दर्ज आयु से मेल नहीं खाती थी, उसका दावा खारिज कर दिया। यह टाइपिंग त्रुटि थी, जिसे बाद में ठीक कर लिया व संशोधित मृत्यु प्रमाण पत्र जमा कराया था। लेकिन विभागों द्वारा दावा दोबारा नहीं खोला गया। आयोग ने माना कि सही दस्तावेज प्रस्तुत करने के बावजूद दावे को नकारना योजना के दिशा-निर्देशों के विरुद्ध है। आयोग ने परिवार सुरक्षा न्यास के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, डीसी जींद योजना भवन, पंचकूला के प्रशासनिक अधिकारी से चार सप्ताह में रिपोर्ट मांगी है। पूछा कि योजना में पुनर्विचार की क्या व्यवस्था है, भविष्य में ऐसी चूक से कैसे बचें। मामले की अगली सुनवाई 21 अगस्त 2025 को होगी।

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

PRABHAT KHABAR, Muzaffarpur, 11.7.2025
Page No. 9, Size:(28.53)cms X (11.46)cms.

थाने में पिटाई का मामला पहुंचा मानवाधिकार आयोग, थानेदार के खिलाफ चल रही जांच

संवाददाता, मुजफ्फरपुर

रामपुर हरि थाने में लूट की शिकायत करने गये विशाल कुमार की पिटाई का मामला मानवाधिकार आयोग पहुंच गया है. अधिवक्ता एसके झा के माध्यम से राष्ट्रीय व राज्य मानवाधिकार आयोग में दो अलग-अलग परिवाद दर्ज कराया गया है. बता दें कि विशुनदेव नारायण सिंह इंटर महाविद्यालय, नरमा, मुजफ्फरपुर में लेखापाल के पद पर कार्यरत विशाल कुमार के साथ 8 जुलाई को रुपये बैंक में लेकर जाने के दौरान अपराधियों के द्वारा लूट-पाट की गयी. पीड़ित विशाल कुमार शिकायत दर्ज कराने जब रामपुर हरि थाना पहुंचा, तो थानाध्यक्ष सुजीत मिश्रा उनके आवेदन के आलोक में कार्रवाई करने के बजाये उन्हें ही बेरहमी से पीट दिया. उनका सदर अस्पताल में इलाज भी चल रहा है.

एसएसपी से मिलने पहुंचे पूर्व मंत्री अजीत कुमार.

थानाध्यक्ष के निलंबित नहीं होने पर होगा आंदोलन

रामपुरहरि थानेदार सुजीत मिश्रा पर कार्रवाई की मांग को लेकर गुरुवार को पूर्व मंत्री अजीत कुमार पीड़ित के परिजनों के साथ एसएसपी से मिले. उन्होंने थाना प्रभारी के निलंबन की मांग करते हुए कहा कि यदि अविलंब थाना प्रभारी को निलंबित नहीं किया जाता है तो इसके खिलाफ आंदोलन को बाध्य होंगे.पूर्व मंत्री ने कहा कि जिस प्रकार से थाना प्रभारी ने अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए कुकृत्य किया है, यह घोर निंदनीय है. थानाध्यक्ष द्वारा अपनी गलती को मानने और पीड़ित से माफी मांगने के वीडियो भी वायरल है.

आंकड़े बताते हैं की देश की कुल अनुसूचित जाति की आबादी की साढ़े तीन से चार प्रतिशत की आबादी उड़ीसा में रहती है। ओडिशा में अनुसूचित जातियों यानि एससी समाज के साथ भेदभाव एक गंभीर समस्या है। सामाजिक बहिष्कार, भेदभाव, और हिंसा के मामले अभी भी सामने आते हैं, जिससे उनके जीवन के कई पहलुओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। भेदभाव के कारण, अनुसूचित जातियों को गरीबी और आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है...

अनुसूचित जातियों की उम्मीद बनता एनएचआरसी इंडिया

● प्रो. कन्हैया त्रिपाठी

hindswaraj2009@gmail.com

अनुसूचित जाति का समाज आजादी के 75 वर्ष बाद आजाद भारत में जानवरों जैसे घास खाने के लिए विवश किया गया है. यह मामला है उड़ीसा का, जहाँ अनुसूचित जाति के लोग सुरक्षित नहीं हैं। आयोग को द न्यू इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित एक समाचार रिपोर्ट मिली। जिसमें इस बात का खुलासा किया गया था कि 22 जून 2025 को उड़ीसा के गंजम जिले में दूसरे समुदाय के लोगों द्वारा अनुसूचित जाति से संबंधित 52 वर्षीय बुलू नायक और 43 वर्षीय बाबुल नायक नामक दो व्यक्तियों की पिटाई की गई। उन्हें घास खाने और नाली का पानी पीने के लिए मजबूर किया गया। आरोप है कि उन पर मवेशियों की अवैध तस्करी ये लोग कर रहे थे। इस बात को लेकर उन्हें शारीरिक रूप से पीटा गया। उनके मोबाइल फोन छीन लिए गए। उन्हें एक स्थानीय सैलून में ले जाया गया। उनके सिर भी जबरदस्ती मुंडवा दिए गए। उड़ीसा के सैकड़ों इलाके ऐसे हैं जहाँ अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं। आंकड़े बताते हैं की देश की कुल अनुसूचित जाति की आबादी की साढ़े तीन से चार प्रतिशत की आबादी उड़ीसा में रहती है। ओडिशा में अनुसूचित जातियों यानि एससी समाज के साथ भेदभाव एक गंभीर समस्या है। सामाजिक बहिष्कार, भेदभाव, और हिंसा के मामले अभी भी सामने आते हैं, जिससे उनके जीवन के कई पहलुओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। भेदभाव के कारण, अनुसूचित जातियों को गरीबी और आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। एक तो शिक्षा की कमी, दूसरे भेदभाव की स्थितियां उड़ीसा के अनुसूचित जातियों को उबरने नहीं दे रही हैं। बहिष्कार, भेदभाव व हिंसा यह जिन समाज द्वारा अनुसूचित जातियों पर किया जाता है, वे अपने बर्चस्व को बनाए रखने के लिए ऐसा करते हैं। वे यह भूल जाते हैं कि उनका यह बर्ताव मनुष्य के गरिमा के खिलाफ है और हिंसा से अनुसूचित जातियों के मानवाधिकार अतिक्रमित होते हैं. संयुक्त राष्ट्र महासभा संकल्प 2106 जो कि 21 दिसंबर 1965 को हुआ था, उसका स्मरण आता है। इस संकल्प पत्र में दो महत्वपूर्ण बात कही गयी थी। पहला, सभी प्रकार के नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा यह घोषणा करती है कि सभी मनुष्य गरिमा और अधिकारों में स्वतंत्र और समान पैदा होते हैं। सभी को बिना किसी भेदभाव के, विशेष रूप से जाति, रंग या राष्ट्रीय मूल के आधार पर, इसमें निर्धारित सभी अधिकारों और स्वतंत्रताओं का अधिकार है। दूसरा, सभी मनुष्य कानून के समक्ष समान हैं और किसी भी भेदभाव और भेदभाव के लिए किसी भी उकसावे के खिलाफ कानून के समान संरक्षण के हकदार हैं। यह दोनों बातें वर्चस्व बनाए रखने वाला समाज सदैव अनदेखा कर देता है। समृद्धशाली भारतीय जातियां मनुष्य की गरिमा का ख्याल नहीं करते और उनके ऊपर अत्याचार करते हैं। उड़ीसा की घटना इसका साक्षात् प्रमाण है। यह घटना उड़ीसा में अनुसूचित जाति के लोगों की सुरक्षा और सम्मान पर गंभीर चिंताएं पैदा करती है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने स्वत: संज्ञान लिया है। यह आयोग का बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है. वास्तव में, अब भी ऐसी घटनाएँ कई बार सोचने को बाध्य करती हैं कि हमारा समाज आज भी किस दशा में जी रहा है। हमारे भारतीय जनमानस में अनुसूउचित जातियों पर अतिक्रमण की बुरी प्रथा का तक रहेगी ? आयोग ने जिस तत्परता से अनुसूचित जातियों के साथ हुए घृणित वर्ताव को संज्ञान में लिया, वह निश्चय ही इस बात का प्रमाण है कि न्याय की उम्मीद अनुसूचित जाति को कभी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। डॉ. भीमराव अंबेडकर ने इक्वेलिटी के लिए भारत में अनेक प्रयास किया था। उन्होंने यह सोचा था कि आज़ादी के बाद हमारे देश की जनता बराबरी के साथ रहना सीख लेगी। अनुसूचित जाति के लोग भी एक समय के बाद अपनी गरिमा के साथ जी सकेंगे लेकिन अभी तक भारत में अनुसूचित जाति का समाज यातना सहने को मजबूर है। उसके ऊपर तस्करी का आरोप लगाया जा सकता है।

समय चक्र

उसके सर के बाल मुड़वाए जा सकते हैं। उसे घास खिलाई जा सकती है। उसे मार खानी पद सकती है। उसे जलील होना पड़ सकता है। उसे अपने ही भूभाग पर लज्जित जीवन जीने पड़ सकते हैं। वह अत्याचार को सहन करने के लिए बाध्य हो सकता है। दूसरे बर्चस्वशाली समाज के लोग अनुसूचित जातियों के जीवन के साथ खेल सकते हैं। उनके संचार के माध्यम छीने जा सकते हैं। उन्हें भयभीत किया जा सकता है. यह देश बहुत महान होने का भले दंभ भर ले, लेकिन यह कृत्य भारत की छवि के लिए हानिकारक हैं।

एनएचआरसी, भारत ने ओडिशा के गंजम जिले में अवैध रूप से मवेशियों की तस्करी के संदेह में अनुसूचित जाति के जिन दो व्यक्तियों पर दूसरे समुदाय के कुछ लोगों द्वारा कथित अत्याचार किया है उसका स्वत: संज्ञान लिया गया है। आयोग ने ओडिशा के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक, को नोटिस जारी करके दो सप्ताह के भीतर मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। आयोग का मानना है कि यदि समाचार रिपोर्ट की सामग्री सत्य है, तो यह मानव अधिकारों के उल्लंघन का यह गंभीर मुद्दा है। किसी को भी किसी की गरिमा के साथ खेलने का कोई हक नहीं है। अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए। पीड़ितों को उनकी गरिमा की सुरक्षा के प्रति आश्वस्त करना चाहिए। आयोग की यह कोशिश निश्चय ही उसके गंभीरता को प्रकट करती है। उड़ीसा के गरीब, दलित, दमित समाज को जीने की उम्मीद देती है। उड़ीसा के अनुसूचित जातियों की गरिमा का यह आश्वासन डॉ. आंबेडकर की चिंताओं का निराकरण है। डॉ. आंबेडकर के भारत को गरिमा के साथ स्थापित करने की यह कोशिश है। एनएचआरसी, भारत और इसके अध्यक्ष, माननीय सदस्य व महासचिव ऐसी कोशिशों से निश्चित रूप से जो प्रयास कर रहे हैं, उसकी तारीफ की जानी चाहिए। सामजिक अशांति के लिए यत्न करने वाले तत्वों की पहचान भी होना जरूरी है। हमारे समाज में अराजकतावादी जो कि गरीब व दमित समाज के साथ इस तरह का व्यवहार करते हैं, उन्हें खत्म करना भी ज़रूरी है। जो अनुसूचित जाति के लोगों के साथ संदेह में घटनाएं हुई, वह बताती हैं कि संदेह में कोई अप्रिय व बड़ी घटनाएँ भी ऐसी स्थिति में हो सकती हैं। इसलिए स्थानीय स्तर पर जो ऐसे कृत्य कर रहे हैं, उनमें व्यवहारिक परिवर्तन की भी कोशिश होनी चाहिए, जिससे कोई अप्रिय घटना न घंटे, एनएचआरसी भारत तो स्वत: संज्ञान लेकर सुरक्षा व गरिमा की गारंटी दे सकता है। स्थानीय स्तर पर इसके लिए समाज के अभिजात्य वर्ग के लोगों व सेवाभावियों का दायित्व है कि वे गरीबी से जूझ रहे समाज के हित में कार्य करें। उन लोगों को समझाएं जो किसी जाति, वर्ग व समूह के साथ हिंसक हो जाते हैं और उनकी गरिमा के साथ खेलने लगते हैं। भारत के इस महत्वपूर्ण समय को यदि सभी के साथ सहिष्णु होकर हम आगे बढ़ेंगे तो भारत की जितनी भी विसंगतियां हैं, वे अपने आप मिट जाएँगी। यदि संदेह के साथ हिंसा व असहिष्णु व्यवहार होते रहे तो श्रेष्ठ भारत का हम निर्माण कभी नहीं कर सकेंगे।

(लेखक भारत गणराज्य के महामहिम राष्ट्रपति जी के विशेष कार्य अधिकारी रह चुके हैं एवं केंद्रीय विश्वविद्यालय पंजाब में चेयर प्रोफेसर, अहिंसा आयोग व अहिंसक सभ्यता के पैरोकार हैं)

Medical Dialogues

Fake Cardiologist Row: NHRC Recommends Cancellation Of MP Hospital's License

https://medicaldialogues.in/news/health/hospital-diagnostics/fake-cardiologist-row-nhrc-recommends-cancellation-of-mp-hospitals-license-151422

10 July 2025 11:00 AM Kajal Rajput

Damoh: The National Human Rights Commission (NHRC) has found 'several irregularities' in a case involving a fake cardiologist working at Mission Hospital in Damoh, Madhya Pradesh.

Accordingly, it has made several recommendations to the Government of Madhya Pradesh and the Centre, seeking action taken reports within four weeks. The Commission had registered the case on the basis of a complaint on 28th March, 2025, and conducted its enquiry, besides seeking reports from the concerned State authorities on the matter.

The Commission has recommended to the Government of Madhya Pradesh, through its Chief Secretary, that it pay Rupees 10 Lakh each as relief to the next of kin of all seven patients who died following treatment by the fake Cardiologist at this hospital.

The Commission has also recommended cancellation of the license of the Mission Hospital until the final disposal of the matter besides issuing necessary directions to officials to inspect all Cath labs, which are functional in Madhya Pradesh. Further, the State Government shall also issue necessary directions to verify whether all the doctors are qualified to work in the Cath labs or not.

Some of the other recommendations to the State Government are as follows:

• Inform whether the hospital had taken insurance or not? If yes, whether the legal heirs of deceased victim have been disbursed the insurance money or not;

• Whether any information regarding performing surgery, details about the patients' medical history, and any relevant test results, or about the specific procedure, its potential risks and benefits, and any alternative treatment options, were shared with the Chief Medical & Health Officer (CMHO), Damoh;

• Look into the irregularities related to the lease, transfer, and unauthorized construction on Plot No. 86/1, and initiate necessary disciplinary and legal action against the erring officials;

• The Director General of Police, Madhya Pradesh to initiate departmental action against the concerned police officers who committed negligence in the registration of an FIR and investigation into it, besides registering separate FIRs as per procedural law

and legal principles against the accused persons and management of Mission Hospital including charges related to culpable homicide, fraud, cheating, forgery, medical negligence, malpractice, misappropriation of funds etc.

• Investigate through the EOW, as well as the Chief Commissioner of Income Tax (Exemptions) Bhopal, the misuse of Ayushman Bharat Scheme by Mission Hospital and foreign donations for the treatment of patients having Ayushman card; • Prov

ide protection to the complainants, who played a key role in exposing a criminal syndicate operating under the guise of a hospital in accordance with the provisions of the Whistle Blowers Protection Act, 2014;

• Secretary, Union Ministry of Health and Family Welfare to get the verification done of Cath Labs across the country, and issue directions to all State Governments to check the implementation of Ayushman Bharat Scheme in letter and spirit.

Amar Ujala

Bihar News: रक्षक बने भक्षक! लूट की शिकायत करने पहुंचे पीड़ित को थाने में पीटा, मानवाधिकार आयोग में शिकायत

https://www.amarujala.com/bihar/muzaffarpur/protectors-turned-predators-victim-beaten-in-police-station-human-rights-complaint-2025-07-10

Thu, 10 Jul 2025 05:20 PM IST Ashutosh Pratap Singh

मुजफ्फरपुर के रामपुर हरि थाना में लूट की शिकायत करने पहुंचे लेखापाल विशाल कुमार को थाने में ही बंद कर पीटा गया। थानाध्यक्ष पर मारपीट, मोबाइल छीनने और झूठा बयान देने का दबाव बनाने का आरोप है। पीड़ित फिलहाल अस्पताल में भर्ती है। मामले में राष्ट्रीय और राज्य मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज कराई गई है।

बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से पुलिस की क्रूरता का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। रामपुर हरि थाना में लूट की शिकायत दर्ज कराने पहुंचे एक पीड़ित को थानेदार ने न सिर्फ पीटा, बल्कि उसे हिरासत में लेकर गाली-गलौज और दुर्व्यवहार किया। अब यह मामला राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) और बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग (BHRC) तक पहुंच गया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, विशुनदेव नारायण सिंह इंटर महाविद्यालय, नरमा में लेखापाल के पद पर कार्यरत विशाल कुमार 8 जुलाई को बैंक में पैसे जमा कराने जा रहे थे। उसी दौरान बाइक सवार अपराधियों ने रास्ते में उन्हें रोका और ₹2,11,200 की लूट कर ली। घटना के बाद जब विशाल कुमार शिकायत दर्ज कराने रामपुर हरि थाना पहुंचे, तो वहां मौजूद थानाध्यक्ष सुजीत मिश्रा ने उल्टे उन्हें ही संदिग्ध मानते हुए थाने में बंद कर दिया और बेरहमी से मारपीट की।

थाने में की गई मारपीट, मोबाइल छीना, जबरन बयान देने का दबाव

पीड़ित का आरोप है कि थानाध्यक्ष ने न केवल उन्हें थाने में बंद किया बल्कि मोबाइल भी छीन लिया और यह कबूल करने के लिए दबाव डाला कि पैसे की लूट उन्होंने खुद करवाई है। जब उन्होंने झूठा बयान देने से इनकार किया, तो उनके साथ और ज्यादा मारपीट की गई। रात करीब 10:30 बजे उन्हें गंभीर हालत में थाने से भगा दिया गया। अगले दिन परिजनों ने उन्हें सदर अस्पताल, मुजफ्फरपुर में भर्ती कराया, जहां फिलहाल उनका इलाज चल रहा है।

माफी मांगते थानेदार का वीडियो वायरल

मामला जब तूल पकड़ने लगा तो थानाध्यक्ष सुजीत मिश्रा खुद अस्पताल पहुंचे और पीड़ित से माफी मांगते नजर आए। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है और लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है।

मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज

पीड़ित विशाल कुमार ने अधिवक्ता के माध्यम से राष्ट्रीय और राज्य मानवाधिकार आयोग में दो अलग-अलग परिवाद दर्ज कराए हैं। अधिवक्ता ने इसे "मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन" बताया और कहा कि अब पुलिस रक्षक की जगह भक्षक की भूमिका निभा रही है। उन्होंने मामले में उच्च स्तरीय जांच और दोषी पुलिस अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।

Dainik Jagran

Muzaffarpur News : लूट की शिकायत लेकर थाने पहुंचे लेखापाल की पिटाई का मामला मानवाधिकार आयेाग पहुंचा

https://www.jagran.com/bihar/muzaffarpur-muzaffarpur-news-case-of-beating-of-the-accountant-in-rampur-hari-police-station-reached-the-human-rights-commission-23980488.html

Thu, 10 Jul 2025 02:58 PM (IST) Sanjiv Kumar & Ajit kumar

पीड़ित लेखपाल ने रामपुर हरि थानाध्यक्ष पर बेरहमी से पिटाई करने का आरोप लगाया है। घायल लेखापाल का सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं अब पीड़ित ने ष्ट्रीय व राज्य मानवाधिकार आयोग में परिवाद दर्ज कराया है। वकील ने इसे अति गंभीर कोटी का अपराध करार दिया है। वहीं दूसरी ओर मामला गरमाते देख थानाध्यक्ष ने अस्पताल पहुंचकर माफी मांगी है।

संजीव कुमार, मुजफ्फरपुर। Muzaffarpur News: थाना पहुंचने वाले पीड़ितों के साथ पुलिस की ओर से पिटाई करने का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। जबकि पिटाई मामले में कई थानाध्यक्षों पर निलंबन की कार्रवाई हो चुकी है। कई थानाध्यक्ष बदले जा चुके हैं। इसी कड़ी में दो दिनों पूर्व एक नया मामला रामपुर हरि थाने का सामने आया, जहां लूट की शिकायत करने गये एक कालेज के लेखापाल के साथ अभद्र व्यवहार कर बेरहमी से पिटाई किया गया।

दो दिनों से सदर अस्पताल में इलाज करा रहे लेखपाल विशाल शरीर पर जख्म का निशान दिखाते हुए वरीय पुलिस अधिकारियों से कार्रवाई की गुहार लगा रहे हैं। दूसरी ओर पीड़ित ने मानवाधिकार अधिवक्ता एसके झा के माध्यम से राष्ट्रीय व राज्य मानवाधिकार आयोग में दो अलग-अलग परिवाद दर्ज कराया है। मानवाधिकार अधिवक्ता ने मामले को मानवाधिकार उल्लंघन के अतिगंभीर कोटि का बताया है।

कहा कि आए दिन पुलिस द्वारा ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जाना मानवाधिकार के लिए खतरे का संकेत है। आयोग से मामले में उच्चस्तरीय जांच करने की मांग की गई है। विदित हो कि दो दिनों पूर्व सोमवार को विशुनदेव नारायण सिंह इंटर महाविद्यालय नरमा के लेखापाल विशाल कुमार 2.11 लाख रुपये लेकर बैंक में जमा करने जा रहे थे। इसी क्रम में बदमाशों ने हथियार के बल पर उनसे लूटपाट की थी।

इसकी शिकायत कराने जब विशाल रामपुर हरि थाना पहुंचे, तो थानाध्यक्ष सुजीत मिश्रा कार्रवाई करने के बजाए उन्हें बेरहमी से पीटने लगे। उन्हें थाना में बंद कर दिया। आरोप है कि थानाध्यक्ष द्वारा पीड़ित का मोबाइल छीन लिया गया और उन्हें नजरबंद कर दिया गया।

पीड़ित का कहना है कि थानाध्यक्ष द्वारा उन पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था कि पीड़ित यह स्वीकार करें कि स्वयं पैसे को लूटा है। नहीं मानने पर थानाध्यक्ष द्वारा लगातार उनके साथ मारपीट की गई, और रात करीब साढ़े 10 बजे थाना से भगा दिया गया।

उनकी गंभीर स्थिति को देख स्वजन द्वारा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। इधर, मामला गरमाते देख बुधवार को थानाध्यक्ष अस्पताल पहुंचकर माफी भी मांगी थी। दूसरी ओर ग्रामीण एसपी ने एएसपी पूर्वी को पूरे मामले की जांच कर रिपोर्ट देने को कहा है।

India TV

मुजफ्फरपुर में पुलिस पर बड़ा आरोप, लूट की शिकायत करने आए शख्स को बेहरमी से पीटा, अब कान पकड़कर मांग रहा माफी

https://www.indiatv.in/bihar/bihar-man-who-came-to-complain-about-robbery-allegedly-beaten-by-police-in-muzaffarpur-2025-07-10-1148280

Jul 10, 2025 14:02 IST Subhash Kumar

बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में पुलिस पर बड़ा आरोप लगा है। आरोप है कि लूट की शिकायत करने आए शख्स को ही पुलिस ने बेहरमी से पीटा। अब ये मामला मानवाधिकार आयोग पहुंच गया है।

बिहार में मुजफ्फरपुर पुलिस अपने कारनामे को लेकर सुर्खियों में आ गई है। जिले के रामपुर हरि थाना से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां लूट की शिकायत करने गये युवक के साथ ही पुलिस द्वारा थाने में बंद कर के काफी बेरहमी से मारपीट की गई व गाली-गलौज की गई। रामपुर हरि थाने के थानाध्यक्ष सुजीत मिश्रा पर ये आरोप लगा है। आरोप है कि उन्होंने क्लर्क की बंद कमरे में लाठी से पिटाई की, फिर थप्पर से भी पीटा। अब ये मामला मानवाधिकार आयोग के पास भी पहुंच गया है।

क्या है पूरा मामला?

पूरा मामला यह है कि दिनांक 8 जुलाई 2025 को विशाल कुमार नाम के युवक के साथ बैंक में रुपये लेकर जाने के दौरान अपराधियों के द्वारा लूट-पाट की गई थी। पीड़ित विशाल कुमार ने बताया कि अपराधियों द्वारा उससे कुल 2,11,200 (दो लाख ग्यारह हजार दो सौ) रुपये की लूट की गई। इसकी शिकायत दर्ज कराने जब विशाल कुमार रामपुर हरि थाना पहुंचे, तो थानाध्यक्ष सुजीत मिश्रा उनके आवेदन के आलोक में कार्रवाई करने के बजाये उन्हें ही बेरहमी से मारने व पीटने लगे। विशाल को पैर, घुटने, पीठ और हाथ मे चोट के बाद थाना में बंद कर दिया। विशाल के पूरे शरीर पर डंडे के निशान हैं।

एनकाउंटर की धमकी देने का आरोप

पीड़ित विशाल ने बताया कि कॉलेज के दो लाख 11 हजार दो सौ रुपये सेंट्रल बैंक में जमा करने जा रहे थे। इसी दौरान बाइक सवार अपराधियों ने पिस्टल के बल पर रुपये लूट लिए। जब वह इसकी शिकायत करने थाने पहुंचे तो थानाध्यक्ष आग बबूला हो गए। थानाध्यक्ष सुजीत मिश्रा द्वारा उन पर लगातार यह दबाव बनाया जा रहा था कि पीड़ित यह स्वीकार करे कि उसी ने स्वयं पैसे को लुट-पाट करवाया है। थानाध्यक्ष ने कहा कि स्वीकार करो नहीं तो केस में फंसाकर एनकाउंटर कर देंगे। जब युवक ने इसका विरोध किया तो थानाध्यक्ष द्वारा लगातार उसके साथ मारपीट की गई और रात्रि के करीब 10:30 बजे थाने से मारपीट कर भगा दिया गया।

अब तक क्या एक्शन लिया गया?

युवक की गंभीर स्थिति को देखते हुए परिजनों द्वारा अगले दिन उसे सदर अस्पताल, मुजफ्फरपुर में भर्ती कराया गया। यहां वर्तमान में उसका ईलाज चल रहा है। मामला सामने आने के बाद थानाध्यक्ष बुधवार रात

आठ बजे विशाल से मिलने अस्पताल पहुंचे। वे विशाल के सामने कान पकड़कर माफी मांगने लगे। इसका एक वीडियो भी सामने आया है। मामला संज्ञान में आने के बाद ग्रामीण एसपी राजेश सिंह प्रभाकर ने एएसपी को जांच का आदेश दिया है।

मानवाधिकार आयोग पहुंचा मामला

इस पूरे मामले को लेकर पीड़ित विशाल कुमार द्वारा मानवाधिकार अधिवक्ता एसके झा के माध्यम से राष्ट्रीय व राज्य मानवाधिकार आयोग में दो अलग-अलग परिवाद दर्ज कराया गया है। मानवाधिकार अधिवक्ता एसके झा ने मामले को मानवाधिकार उल्लंघन के अतिगंभीर कोटि का बताते हुए कहा कि मुजफ्फरपुर पुलिस रक्षक के जगह भक्षक की भूमिका में ज़्यादा दिखाई पड़ रही है। आये दिन पुलिस द्वारा ऐसी घटनाओं को लगातार अंजाम दिया जाना मानवाधिकार के लिए खतरे का संकेत है। उन्होंने माननीय आयोग से मामले में उच्च स्तरीय जांच करने की मांग की है। (रिपोर्ट: संजीव कुमार)